(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 178 / 2022 **जीसीएमएस नम्बर :– 2022 / 515**

1. राजेन्द्र पुत्र मोहर सिंह उम्र 65 साल
2. विरेन्द्र पुत्र मोहर सिंह उम्र 62 साल
3. नरेन्द्र पुत्र मोहर सिंह उम्र 52 साल जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
4. छोटी पुत्री मोहर सिंह पत्नी भूपसिंह उम्र 54 साल जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0 हाल आबाद गोद तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा
5. सतवनी पुत्री मोहर सिंह पत्नी लालचन्द उम्र 56 साल जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द हाल आबाद नया गाव तन सोहली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
6. कृष्णा पुत्री मोहर सिंह पत्नी धर्मपाल उम्र 75 साल जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0 हाल आबाद खामपुरा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0
7. नरेश माता ओमवती दोहिता मोहर सिंह उम्र 30 साल जाति अहीर निवासी खामपुरा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0
8. सुनिता माता ओमवती दोहिती मोहर सिंह पत्नी रणवीर उम्र 38 साल जाति अहीर निवासी खामपुरा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0

.................**वादीगण**

बनाम

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

1. बल्लाराम पुत्र मोहर सिंह
2. रामनिवास पुत्र मोहर सिंह जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
3. राजपाल माता शान्ति पुत्र कंवर सिंह जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
4. जितेन्द्र पुत्र करण सिंह नवीरा शान्ति जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
5. जोगेन्द्र पुत्र करण सिंह नवीरा शान्ति जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना ... बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

.................प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.03 11:34:21 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत–...रिकार्ड दुरूस्ती

–:निर्णय:– दिनांक:– 4/...

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2030 से 2033 के खाता संख्या 139 के ख0 न0 46 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा ख0 न0 61 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा ख0 न0 204 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा ख0 न0 387 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा ख0 न0 405 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा ख0 न0 460 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा ख0 न0 484 रकबा 17 बिस्वा ख0 न0 487 रकबा 12 बिस्वा ख0 न0 488 रकबा 1 बीघा ख0 न0 517 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा ख0 न0 628 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा ख0 न0 632 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा ख0 न0 737 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 13 कुल रकबा 28 बीघा 3 बिस्वा भूमि के रिकार्डेड खातेदार कास्तकार मोहर, केहर, इन्द्राज पुत्रान पितराम रिकार्डेड खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड है उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा खातेदार मोहर सिंह व 1/3 हिस्सा केहर सिंह व 1/3 हिस्सा इन्द्राज का है खातेदार इन्द्राज व केहर सिंह अविवाहित फौत हो चुके है वादीगण की वंशावली निम्नप्रकार है।

2. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित भूमि के संबंध एक मुक्दमा नम्बर 45/83 बउनवानी बल्लाराम बनाम केहर सिंह बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के यहा पर विचाराधीन था जिसका निस्तारण राजीनामा के आधार पर दिनांक 30.07.1984 को हो गया है उक्त मुक्दमें की राजीनामा व फैसले की नकल वाद पत्र के साथ संलगन है।

3. यह वाद पत्र के खण्ड संख्या 2 में वर्णित भूमि में दिनांक 30.07.1984 के अन्तगर्त गत ख0 न0 46 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विभाजन के रूप में दी गई थी जिसको प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 3 की माता व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की दादी को बेचान कर दिया है जिसका नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 ने अपने नाम से दर्ज कर लिया है।

4. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 2 के अनुसार मुक्दमा नम्बर 45/83 बउनवानी बल्लाराम बनाम केहर सिंह बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा में फैसला दिनांक 30.07.1984 की पालना में पटवारी हल्का ने नामान्तरण संख्या 428/84 दिनांक 16.02.1985 को नामान्तरण दर्ज किया गया है परन्तु उसके उपरान्त पटवारी हल्का ख0 न0 46 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि में 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विभाजन के रूप में देना था परन्तु पटवारी हल्का ने सम्पूर्ण रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी है जिसकी राजीनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को केवल 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि विभाजन के रूप में देना था शेष भूमि ... 1 बिस्वा भूमि वादीगण के नाम दर्ज करनी थी जो सहवन से छुट ... के लिए वादीगण का कानूनी अधिकार है जो सावधि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.03 11:34:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी ... (seal: उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राज.))

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

5. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 3 को बेचान कर दिया है तथा शेष हिस्सा 15/26 हिस्सा वादी संख्या 1 लगायत 8 का वंशावली के अनुसार दर्ज होना है जो कि सही व सत्य है।
6. यह कि वादीगण गत माह अपनी भूमि की नकल ली तो उन्हे पता चला कि उनकी भूमि उनके नाम से दर्ज नही है तथा अपनी पैत्रक भूमि को वादीगण ने अपने नाम से दर्ज करवाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कहा तो उन्होने ऐसा करने से साफ मना कर दिया तथा कहा कि यदि तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हे जान से मार देगे।
7. यह कि गत ख0 न0 46 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि के हाल ख0 न0 36 रकबा 0.78 हैक्टर भूमि निर्मित हुए है।
8. यह कि खातेदार शान्ति पत्नी कवर सिंह फौत हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 है। वादीगण ने उन्हे भी पक्षकार बनाया है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). यह वाके ग्राम पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि हाल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 146 के ख0 न0 36 रकबा 0.78 है0, भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को प्रत्येक का 15/52, 15/52 हिस्सा भूमि हिस्सा भूमि हजफ करके उक्त भूमि वादी संख्या 1 लगायत 6 को प्रत्येक को 0.0642 हैक्टर भूमि व वादी संख्या 7 व 8 को 0.0642 है0, सयुक्त भूमि का यानि 0.45 है0, भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की तामील रजिस्टर डाक से होकर प्राप्त हुई। बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 27.02.2025 को लाई गई। बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम पचेरी खुर्द स्थित भूमि हाल खाता संख्या 146 में वादी संख्या 1 लगायत 6 को प्रत्येक को 0.0642 हैक्टर भूमि व वादी संख्या 7 व 8 को 0.0642 है0, सयुक्त भूमि का यानि 0.45 हैक्टर का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

(Stamp: उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.))

वकील वादी की बहस, पेश की [illegible] प्रतिवादीयों की अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है [illegible] जमाबन्दी पेश कर बहस पूरी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.03 11:34:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने बताया कि वादीगण की पैतृक जमीन है जिसके जन्म से अधिकार निहित है अतः पत्रावली बहस, उपरान्त, दस्तावेज साक्ष्य में वादीगण द्वारा मिशल बंदोबस्त खतौनी या रजिस्टर, जमाबन्दी सम्वत 2030–2033, जमाबन्दी सम्वत 2044–2046, जमाबन्दी सम्वत 2048–2051, जमाबन्दी सम्वत 2052–2055, जमाबन्दी सम्वत 2056–2058, जमाबन्दी सम्वत 2060–2063, जमाबन्दी सम्वत 2064–2067, जमाबन्दी सम्वत 2075–2078, मुक्दमा नम्बर 45 / 83 बउनवानी बल्लाराम बनाम केहर सिंह बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा में फैसला दिनांक 30.07.1984 की पालना में पटवारी हल्का ने नामान्तरण संख्या 428 / 84 दिनांक 16.02.1985 को नामान्तरण की प्रतिलिपि, राजीनामा की सत्य प्रतिलिपि, मिलान क्षेत्रफल, की नकल प्रस्तुत की पूर्ण सात्रिक रिकार्ड, शपथ पत्र के आधार पर वादी का दावा स्वीकार किया जाता है।

–::आदेश::–

" न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि हाल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 146 के खसरा नम्बर 36 रकबा 0.78 हैक्टर, भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को प्रत्येक का 15 / 52, 15 / 52 हिस्सा भूमि हिस्सा भूमि हजफ करके उक्त भूमि वादी संख्या 1 लगायत 6 को प्रत्येक को 0.0642 हैक्टर भूमि व वादी संख्या 7 व 8 को 0.0642 हैक्टर, सयुक्त भूमि का यानि 0.45 हैक्टर भाग की खातेदारी दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 4/3/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.03 11:34:21 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

गूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— सुमन देवी II, आर.ए.एस.
राजस्व वाद सं.— 178 / 2022 जीसीएमएस नम्बर :— 2022 / 515

राजेन्द्र सिंह बनाम बल्लाराम आदि

दावा बाबत— घोषणात्मक खातेदारी व रिकार्ड दुरूस्ती

—:निर्णय:—

वादी की ओर से **श्री प्रविन्द्रसिंह शेखावत एडवोकेट** की व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

" न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि हाल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 146 के खसरा नम्बर 36 रकबा 0.78 हैक्टर, भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को प्रत्येक का 15 / 52, 15 / 52 हिस्सा भूमि हिस्सा भूमि हजफ करके उक्त भूमि वादी संख्या 1 लगायत 6 को प्रत्येक को 0.0642 हैक्टर भूमि व वादी संख्या 7 व 8 को 0.0642 हैक्टर, सयुक्त भूमि का यानि 0.45 हैक्टर भाग की खातेदारी दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 4/3/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.03 11:34:21 IST
Reason: SelfAttested

2